

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत

सुरेन्द्र कुमार

उपखण्ड अधिकारी,

बनाम

मुकाम नीमकाथाना

भोलाराम वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212

मु० न० 572 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/ रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 10.12.2024 को पेश हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

10¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। आवाज लगावने के उपरान्त भी प्रार्थी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। एक मौका मिल जाता है पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो।

16/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावनी गयी। आवाज लगावने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम दायरी अदम पंखी में खलि किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमाए होकर नम्बर ले कम होकर दफ्तर डालिल हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना